अपराध आरोपियों से पुलिस ने जब्त किए साढ़े पांच लाख रूपए नकद, मोबाइल और संदिग्ध दस्तावेज, चार आरोपी फरार, पुलिस कंट्रोल में पुलिस अधीक्षक ने किया मामले का खुलासा

ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने के आरोप में तीन युवक गिरफ्तार

नवभारत, कटनी। एक कपड़ा व्यापारी की ओर से अपने कर्मचारी के नाम पर फर्जी बैंक खाते खुलवाकर करोड़ों रुपए के ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी योगेश बजाज सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5.5 लाख रुपए नकद और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने शनिवार पुलिस कंट्रोल रूम में इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ग्राम जुहली निवासी अमित दाहिया (29) ने माधवनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अमित नई बस्ती स्थित बॉम्बे ब्यूटीफुल साड़ी सेंटर में कार्यरत है। फरियादी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि दुकान मालिक योगेश बजाज ने व्यापारिक लेन-देन का बहाना बनाकर उसके नाम पर बंधन बैंक, एचडीएफसी और आईडीबीआई बैंक में चार खाते खुलवाए थे। बजाज ने इन खातों की पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड अपने पास रख लिए थे और अमित की आईडी पर ली गई सिम का उपयोग कर इन खातों से ऑनलाइन लेनदेन कर रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि योगेश बजाज के जब्त खातों से करोड़ों रुपए का लेनदेन हुआ है। बंधन बैंक के खाते से लगभग 1.09 करोड़ रुपए, एचडीएफसी के दो खातों से लगभग 1.04 करोड़ रुपए और आईडीबीआई बैंक के खाते से करीब 59 लाख रुपए का लेनदेन किया गया। कुल मिलाकर, आरोपी ने अपने और अन्य व्यक्तियों के खातों के माध्यम से लगभग 3 करोड़ 29 लाख 24 हजार रुपए का अवैध

लेनदेन किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी छत्तीसगढ़ के कांकेर निवासी मनीष और रोहित से 20 प्रतिशत कमीशन पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे की मास्टर आईडी लेकर कटनी में सट्टा संचालित करता था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि जब सट्टे की रकम बड़ी मात्रा में जमा हो जाती थी, तो योगेश बजाज इसे मनीष और रोहित को हवाला के जरिए भेजता था। व्हाट्सएप पर आने वाले नोट के नंबरों का मिलान कर हवाला की राशि का आदान-प्रदान किया जाता था। इस काम में संत नगर निवासी तरुण मोटवानी भी शामिल था, जो कमीशन के बदले अलग-अलग खातों से रकम ट्रांसफर करवाता था। पुलिस ने अब तक योगेश बजाज, तरुण मोटवानी और अवधेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 5 लाख 52 हजार रुपए नगद, 03 चेक बुक, 03 एटीएम कार्ड, 1 पासबुक और आरोपी का मोबाइल फोन, मोबाइल में सट्टे के हिसाब-किताब वाले कई संदिग्ध चैट ग्रुप्स मिले हैं। माधवनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा और पब्लिक गैंबलिंग एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। गिरोह के अन्य सदस्य मनीष, रोहित और चार अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस का मानना है कि इस मामले में अभी और भी कई सफेदपोश चेहरों के नाम सामने आ सकते हैं। कार्रवाई में माधवनगर थाना प्रभारी संजय दुबे, एनकेजे थाना प्रभारी रूपेन्द्र सिंह राजपूत, रंगनाथ थाना प्रभारी अरूण पाल सिंह, एसआई योगेश मिश्रा, एसआई नवीन नामदेव, आरक्षक मणि सिंह, लोकेन्द्र सिंह, उमाकांत तिवारी, सायबर सेल के आरक्षक अजय साकेत, शुभम गौतम, सत्येन्द्र सिंह, चंदन प्रजापति, अमित श्रीपाल की भूमिका रही।

पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ संतोष डेहरिया और नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया के मार्गदर्शन में की गई है।

जनहित में जारी एडवाइजरी

किसी भी परिस्थिति में अपने नाम से बैंक खाता खुलवाकर उसके दस्तावेज, एटीएम, पासबुक किसी अन्य को नहीं दें। बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर, ओटीपी, नेट बैंकिंग की जानकारी गोपनीय रखें। कैश देने के बदले किसी के कहने पर अपने बैंक खाते में ऑनलाइन पैसा लेने से पहले पूरी सतर्कता बरतें। कमीशन या लाभ के लालच में इस प्रकार का लेन-देन करना अवैध गतिविधियों से जुड़ा हो सकता है। कमीशन के चक्कर में अवैध संदिग्ध राशि अपने खाते में लेना मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आ सकता है, जो एक गंभीर दंडनीय अपराध है। किसी भी संदिग्ध लेन-देन की सूचना तत्काल संबंधित बैंक, नजदीकी पुलिस थाना, सायबर सेल को दें। क्रिकेट सट्टा, हवाला या अवैध ऑनलाइन ट्राजेक्शन से दूर रहें, इसमें संलिप्तता पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

टीम गठित कर गांव के मकानों में अंकित कराएं क्रमांक

2027 की जनगणना के लिए प्रथम चरण की बैठक का आयोजन

नवभारत, कटनी। जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य मध्यप्रदेश में 1 मई से 30 मई 2026 तक संपन्न किया जाएगा। इसी क्रम में जिला कलेक्टर और प्रमुख जनगणना अधिकारी आशीष तिवारी की अध्यक्षता में जनगणना कार्य में संलग्न समस्त अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समय-सीमा में कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। इन्हीं

निर्देशों के पालन में अनुविभागीय जनगणना अधिकारी एसडीएम प्रमोद चतुर्वेदी द्वारा तहसीलदारों, चार्ज अधिकारियों और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एन्यूमरेटर ब्लॉक निर्धारण, मकानों का सूचीकरण, अन्य प्रारंभिक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने सीईओ जनपद पंचायतों को निर्देशित किया कि वे चार्ज अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर ग्राम पंचायत सचिवों, ग्राम रोजगार सहायको के माध्यम से ग्रामों में भवनों के क्रमांक अंकित कराने की कार्रवाई कराएं। दल गठित कर कार्य को निर्धारित समय पर पूरा कराएं।

चार आदतन अपराधियों को थाने में देनी होगी हाजिरी

नवभारत, कटनी। जिला दंडाधिकारी कलेक्टर आशीष तिवारी ने चार आदतन अपराधियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए इन्हें हर माह संबंधित पुलिस थाना में दो दिन उपस्थिति देने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर ने आदतन अपराधियों के विरूद्ध यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है। जिसमें ग्राम जिर्री थाना ढीमरखेड़ा निवासी महेश यादव द्वारा लगातार वर्ष 2013 से अपराध किया जा रहा है। इसके विरूद्ध विभिन्न प्रकार के 10 प्रकरण दर्ज है।

सब्जी मंडी में दुकान की शटर खोल पांच लाख रूपए के 32 मोबाइल चोरी

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात

नवभारत, कटनी। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी में चोरों ने एक मोबाइल दुकान से करीब 5 लाख रुपए मूल्य के 32 मोबाइल फोन चोरी हो गए हैं। वारदात शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात की है। दरअसल, तीन नकाबपोश चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर घटना को अंजाम दिया। चोरी करते हुए तीन संदिग्ध सीसीटीवी में कैद हुए हैं। दुकान संचालक गांधी हिंदुजा शुक्रवार रात अपनी दुकान बंद कर घर गए

थे। रात करीब ढाई बजे तीन चोर दुकान पर पहुंचे। उन्होंने शटर को किसी औजार की मदद से मोड़कर दुकान में प्रवेश किया और महंगे हैंडसेट चुरा लिए। सुबह सफाई कर्मियों ने टूटे शटर को देखकर दुकान मालिक और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर तीन संदिग्ध युवक वारदात को अंजाम देते हुए कैद हो गए हैं। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर फुटेज के आधार पर उनकी तलाश शुरू कर दी है। इस घटना से सब्जी मंडी के व्यापारियों में भारी आक्रोश है। व्यापारियों का आरोप है कि रात के समय इलाके में पुलिस गश्त न के बराबर होती है। उनका कहना है कि मंडी क्षेत्र में रात भर चहल-पहल रहती है, फिर भी चोरों ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस व्यावसायिक क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाए, ताकि भविष्य में ऐसी चोरियों को रोका जा सके।

किफायती ऋण उपलब्ध कराकर ग्राहकों के सपनों को साकार करेगा बैंक

मेगा क्रेडिट आउटरीच अभियान के तहत किया गया कार्यक्रम

नवभारत, बाकल । सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जबलपुर क्षेत्र द्वारा 21 फरवरी 2026 को रिटेल मेगा क्रेडिट आउटरीच अभियान का आयोजन किया गया। अभियान का उद्देश्य बैंक के रिटेल क्रेडिट उत्पादों को बढ़ावा देना और अधिक से अधिक ग्राहकों को सुलभ और किफायती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना रहा। अभियान के दौरान बैंक अधिकारियों ने उपस्थित ग्राहकों को विभिन्न ऋण योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। प्रमुख योजनाओं में होम लोन, वाहन लोन, गोल्ड लोन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना शामिल रहीं। होम लोन पर 7.10% से प्रारंभ ब्याज दर, शून्य प्रोसेसिंग शुल्क तथा 30 वर्ष तक

की ऋण अवधि की सुविधा प्रदान की जा रही है। वाहन लोन 7.60% से प्रारंभ ब्याज दर पर उपलब्ध है, जिसमें 2 करोड़ रुपये तक की ऋण सीमा तथा लोन राशि व अवधि के अनुसार अनुकूल ईएमआई विकल्प दिए जा रहे हैं। गोल्ड लोन के अंतर्गत त्वरित प्रक्रिया, शून्य प्रोसेसिंग शुल्क और 40 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध है। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को घर खरीदने के लिए सब्सिडी और अन्य लाभों की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर जबलपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख अविनाश कुमार ने बताया कि अभियान के अंतर्गत 40 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत और वितरित किए गए।

उन्होंने कहा कि बैंक का उद्देश्य ग्राहकों को किफायती ऋण उपलब्ध कराकर उनके सपनों को साकार करने में सहयोग देना है। बैंक ने नागरिकों से कहा है कि वे अधिक जानकारी और ऋण सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अपनी निकटतम शाखा जाकर संपर्क कर सकते हैं।

KAMAKHYA REAL ESTATE
हम है आपकी हर जरूरत के लिए भरोसेमंद साथी...
आवासीय मकान और प्लाट, वाणिज्यि (कमर्शियल) संपत्तियां, औद्योगिक (इंडस्ट्रियल)
प्लॉट अब संपत्ति की खरीद-फरोख्त करें
पूरी पारदर्शिता और आसानी के साथ चाहे आपको चाहिए एक सुकून भरा घर रिहायशी प्लॉट
व्यवसाय के लिए दुकान
आपकी फैक्ट्री के लिए उपयुक्त जमीन
पूरे भारत में प्रॉपटी खरीदने के लिए संपर्क करें
AMIT GAUTAM +91 86430-19577, +91 96911-21453
E-mail: kamakhyarealstate@gmail.com

धर्मलोक हॉस्पिटल
A unit of Dharmlok Hospital Pvt. Ltd.
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED
दूरबीन से पित्त की पथरी की सर्जरी, दूरबीन से अपेंडिक्स सर्जरी, दूरबीन से ओपन पेट की सर्जरी, उन्नत तकनीक (स्टेपलर/लेटर) के फिस्टुला सर्जरी, स्तन सर्जरी, किडनी/ प्रोस्टेट/मूत्रालशय सर्जरी, मधुमेह पैर की देखभाल/सर्जरी, तीव्र और जीर्ण घाव प्रबंधन।
डॉ. राजेश बत्रा
एम.एस., एफ.एम.ए.एस., एफ.आई.ए.जी.ई.एस., एफ.ए.आई.एस.
जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन
सामान्य एवं सिजेरियन डिलीवरी, अंडेदानी की गठान, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था, निःसंतानता, बच्चेदानी निकालना, सफेद पानी का इलाज, गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी, बार-बार गर्भपात होना, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज/सिंड्रोम।
डॉ. हर्षा बत्रा
एमडी (ओबीजी)
सोनोग्राफी डिप्लोमा
स्त्री, प्रसूति एवं बांझपन विशेषज्ञ
आयुष्मान कार्डधारी मरीजों का एवं हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड धारी मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाता है।
ओपीडी सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
पता-आदर्श कालोनी रोड, कटनी (म.प्र.)
Ph. 07622-422390, 796084 Help line 24x7: 8305402024

सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही चालकों पर नजर, ई चालान व्यवस्था लागू

नवभारत, कटनी। शहर में वाहन चलाने के दौरान यातायात नियमों का उल्लघन करने वालों पर यातायात पुलिस सीसीटीवी कैमरे से नजर रख रही है। साथ ही ई चालान व्यवस्था लागू कर जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं लगाने, रेड लाइट जम्प करने, रॉन्ग साइड वाहन चलाने और किसी भी प्रकार से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी वाहन चालकों से कहा गया है कि वे अब सावधान हो जाएं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की तीसरी आंख पूरी तरह सक्रिय कर दी गई है। शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे न सिर्फ नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से ई-चालान प्रणाली लागू कर दी गई है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित वाहन चालक के मोबाइल नंबर पर ई-चालान की सूचना प्राप्त होगी। पुलिस ने वाहन चालकों से कहा है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित वाहन चलाएं। कानून- व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। नियमों का पालन नहीं करने पर वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर जुर्माना वसूल किया जाएगी।

किराया जमा नहीं करने पर तीन दुकानों में लगाया ताला

नगर निगम ने अपने स्वामित्व वाली दुकानों में की कार्रवाई

नवभारत, कटनी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति को दृष्टिगत रखते हुए बकाया वसूली में तेजी लाते हुए नगर निगम ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए शनिवार को प्रियदर्शिनी बस स्टैंड स्थित निगम स्वामित्व की तीन दुकानों में तालाबंदी की कार्रवाई की है। लंबे समय से संबंधित आवंटियों द्वारा दुकान किराया जमा नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई। नगर निगम के राजस्व अधिकारी जागेश्वर

प्रसाद पाठक ने बताया कि संबंधित आवंटियों को पूर्व में कई बार किराया राशि जमा करने के लिए सूचित किया गया था, किराया जमा करने के पर्याप्त अवसर भी दिए गए, लेकिन निर्धारित समयावधि में राशि निगम कोष में जमा नहीं की गई। जिसके बाद नियम के अनुसार तालाबंदी की कार्रवाई की गई है। उन्होने बताया कि बस स्टैंड की दुकान क्रमांक 23, 6 और क्रमांक 12 के आवंटी पर किराया की राशि बकाया थी।

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI
आंचलिक कार्यालयः एमआईजी–15, राजेश्वर बिल्डिंग, शिव नगर, दमोह रोड, जबलपुर– 482002
Email: jabalpur.ard@bankofindia.co.in
अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई- नीलामी विक्रय सूचना

ई- नीलामी विक्रय सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, हेतु ई– नीलामी विक्रय सूचना

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई– नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और जमानतदार को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्न वर्णित सारणी के कॉलम 3 में उल्लिखित अचल सम्पत्ति जो **प्रतिभूत लेनदार (बैंक ऑफ इंडिया)** के पास गिरवी / प्रभारित हैं, का प्रतीकात्मक कब्जा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है''** के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित ऋणी एवं जमानतदार से बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नलिखित तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित राशि की वसूली हेतु दिनांक 10.03.2026 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं जमा योग्य धनराशि तालिका के कॉलम 6 व 7 में क्रमशः दी गई है।

ई-नीलामी दिनांक 10/03/2026 को प्रातः 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक चलेगी।

शाखा का नाम (1)	ऋणी / जमानतदार (2)	संपत्तियों का विवरण व स्वामी का नाम (3)	मांग सूचना 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक व बकाया राशि (4)	आधिपत्य की दिनांक व प्रकार (5)	आरक्षित राशि (6)	ईएमडी (7)
शाखा : दीनदयाल चौक जबलपुर	खाता नं. : 941875110000047 **उधारकर्ता: मो. इकबाल पिता** अब्दुल सलाम निवासी म.नं 364, मौलाना अतहर गली, अमीर अखाड़ा, कटनी मुरवारा, कटनी म.प्र. – 483501 **सहऋणी :अब्दुल सलाम** निवासी म.नं 364,मौलाना अतहर गली, अमीर अखाड़ा, कटनी मुरवारा, कटनी म.प्र. – 483501	मो. इकबाल पिता अब्दुल सलाम के नाम पर बंधक रहवासी संपत्ति के समस्त भूभाग स्थित प्लॉट नं. बी–42, इमलिया, आर. आई. सर्किल पहाड़ी,पी.सी.नं 34, खसरा नं. 71/9, तहसील कटनी जिला कटनी,म.प्र. जिसकी चतुर्सीमा : पूर्व में 20 फीट रोड, पश्चिम में प्लॉट नं. बी–37, उत्तर में 25 फीट रोड, दक्षिण में प्लॉट नं बी– 41	14.07.2025 ₹ 9,69,658.54 + ब्याज एवं अन्य खर्च	29.09.2025 सांकेतिक	₹ 10,78,000/- Lacs	₹ 1,07.900/- Lacs

सुरक्षित ऋणदाता को ज्ञात ऋणभार का विवरण : ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें– 1. नीलामी बिक्री/बोली केवल वेबसाइट **https:baanknet.com** के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया के माध्यम से होगी।
2. यदि आवश्यक हुआ तो 10–10 मिनट का असीमित विस्तार किया जाएगा। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर शुरू होगी और बोलीदाताओं को उपरोक्त सभी संपत्तियों के लिए 10,000 रूपये गुणक में अपने प्रस्तावों में सुधार करना होगा। बिक्री आरक्षित मूल्य पर या उससे कम पर नहीं होगी।
3. बिक्री प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना होगा। उन्हें नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले उपरोक्त संपत्ति(यों) से संबंधित किसी भी वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली बकाया आदि के बारे में अपनी जांच करनी होगी। संपत्तियां सभी मौजूदा और भविष्य की देनदारियों के साथ बेची जा रही हैं, चाहे बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दावे/अधिकारों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
5. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा।
6. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली या किसी भी बोली या किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने और बिक्री की किसी भी शर्त को बदलने, संशोधित करने और माफ करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, प्राधिकृत अधिकारी का उक्त ई– नीलामी को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया **https:baanknet.com, www.bankofindia.co.in** देखें, या संपर्क करें: श्री राजेश मौर्य, मुख्य प्रबंधक ए.आर.डी., जबलपुर झोन (मोबा. नं. 7376391515)
8. यह प्रकाशन उपर्युक्त उधारकर्ता(ओं)/जमानतदार(ओं)/बंधककर्ता(ओं) के लिए 15/30 दिनों का नोटिस भी है।
9. सफल बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की आयकर अधिनियम की धारा 194-IA के तहत लागू 1% की दर से टीडीएस जमा करना होगा, यदि इस तरह के प्रतिफल के लिए जमा या भुगतान की गई राशि का योग रू. 50 लाख या अधिक है। टीडीएस को फार्म 26QB ऑनलाईन भरकर जमा कराना होगा और टीडीएस सर्टिफिकेट फार्म 16 B में जारी करना होगा। खरीददार को सरकारी खाते में आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

दिनांक : 22.02.2026 स्थान : कटनी
प्राधीकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया